राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः-र. 3(16)(7)स्था/अभि/92/पार्ट-II/14505-536 दिनांकः 17.11.99

प्रेषितिः-

समस्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।

विषयः-**पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों के मध्य विचार गोष्ठियों के माध्यम से सहयोग।**

संदर्भः- **राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.25(4)गृह-ग्रुप-10/76 दिनांक 17.10.76 तथा 26.6.80**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की ओर से संदर्भित परिपत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक जिले में पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के मध्य सामान्य महत्व के निर्णय लेने हेतु नियमित रूप से विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जायेगी। त्रैमासिक विचार गोष्ठी आपके स्तर पर आयोजित करने का अनुरोध परिपत्र में किया गया था। किन्तु आपके जिले से इस प्रकार की विचार गोष्ठियों के कार्यवाही विवरण नियमित रूप से यहाँ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उक्त संदर्भित परिपत्रों में दिये गये निर्देशानुसार कृपया त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से विचार गोष्ठियाँ आयोजित करने की व्यवस्था करावें तथा विचार गोष्ठियों के कार्यवाही विवरण इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ताकि राज्य सरकार को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

विशिष्ठ शासन सचिव,

गृह (विधि) एवं निदेशक अभियोजन,

राजस्थान, जयपुर।